प्रकरण संख्याः– 150/2014
किस्म मुकदमाः– रोजाना प्रपत्र
अदालत– जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
सरकार बनाम सहजराम

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/2019	उभय पक्ष उपस्थित। उपस्थित को सुना गया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि सहजराम के वारिसान की ओर से न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के यहाँ प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 21.6.2019 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.8.2014, प्रतिप्रेषित की हद तक एवं जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.4.2005 निरस्त कर अपीलार्थीगण से राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6.10.2009 एवं 1.12.2011 के अनुसरण में नियमानुसार देय राशि जरिये चालान जमा करवा कर सनद जारी कर विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार आवंटी सहजराम के वारिसान अपीलार्थीगण को प्रदान किये जावे। शेष राशि मय ब्याज नियमानुसार जमा होने के उपरान्त विवादित आराजी को रिसीवरी से मुक्त किया जाकर कब्जा अपीलार्थीगण को प्रदान किया जावें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय के तहत न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर,अजमेर) में विचाराधीन यह प्रकरण सारहीन हो जाने से इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित फरमाया जावें। उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा भी इन्ही कथनों को दोहराया गया। हमने उभय पक्ष के कथनो के तहत रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। मान0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.6.2019 के तहत विचाराधीन प्रकरण इस स्तर पर सारहीन होने से निस्तारित किया जाता है। प्रभारी अधिकारी (विकास) कलेक्ट्रेट, अजमेर से प्राप्त पत्रावलियाँ मय मण्डल के प्रश्नगत आदेश के प्रेषित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। (विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर	

Scanned by CamScanner